ालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

तारीख दायरा
21.01.2021

तारीख फैसला
19.9.22

धिकारी–हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

नल आत्मज गोबरीलाल जाति गुर्जर निवासी नरपत खेड़ी तह0 दीगोद जिला टा।

सिंह आत्मज गोबरीलाल जाति गुर्जर निवासी नरपत खेडी तहसील दीगोद जिला टा।

(प्रार्थीगण)

बनाम

नालाल आत्मज मोडूलाल जाति गुर्जर
सिंह आत्मज धन्नालाल जाति गुर्जर
वीराज आत्मज धन्नालाल जाति गुर्जर
वासीगण नरपत खेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा

(अप्रार्थीगण)

र्थी की ओर से– श्री गिरिराज मीणा एडवोकेट
प्रार्थीगण – श्री रामप्रसाद शर्मा एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

प्रार्थीगण ने उपरोकत शीर्षक का प्रार्थना पत्र न्यायालय में निम्न रूपेण पेश किया

क्षेप में मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान के शामलाती ग्राम नरपत खेड़ी तहसील दीगोद में अन्य भूमियों के साथ खसरा नम्बर 256 की क्टर व खसरा नम्बर 260 की 0.70 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। नकल दी सम्वत 2072 से 2075 संलग्न है।

यह कि उपरोक्त भूमिक प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त भूमि को काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते है। भूमि की किस्म बारानी तृतीय है ओर उक्त भूमि नहर से सिचिंत होती है। प्रार्थीगण क्त भूमि से प्रतिपक्षीगण का कोई संबंध नहीं है।

यह कि प्रतिपक्षीगण ताकतवर आदमी है ओर प्रार्थीगण की उक्त भूमि के कब्जे में प्रतिपक्षीगण व्यवधान पैदा करते है तथा जबरन धोरा निकालने पर आमादा होते आये दिल झगडा करते है। प्रतिपक्षीगण को प्रार्थीगण की उक्त भूमि में धोरा लने व कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

यह कि प्रतिपक्षीगण दिनांक 11.12.2020 को प्रार्थीगण की भूमि पर आये ओर ण की भूमि में होकर धोरा बनाने व धोरा निकालने का प्रयास किया , मना करने पर

सहायक कलक्टर

कल से प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षीगण को रोका किन्तु प्रतिपक्षीगण ने धमकी दी है कि
र्थीगण की भूमि में होकर धोरा निकाल कर रहेगे। यदि प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण
खसरा नम्बर 256 व 260 के खेत की भूमि में होकर धोरा निकाल लिया गया तो
का खेत हमेशा के लिये बेकार हो जावेगा। प्रार्थीगण को अपरिमित खति होगी
क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार नही हो सकेगी तथा दावा पेश करना ही बेकार हो

यह कि प्रार्थीगण का केस प्राईमा फैसाई केस है तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण
में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होने की पूर्ण सभांवना है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के
एक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिपक्षीगण ग्राम
खेडी तहसील दीगोद स्थित प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 256 व 260 की भूमि में
प्रकार का धोरा नहीं खोदें। किसी प्रकार से धोरा नहीं निकाले ओर न प्रार्थीगण के
काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा करें। उक्त कृत्य न तो स्वंय करे ओर न
प्रतिनिधि से करावे।

र्थीगण की ओर से निम्न फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो पत्रावली में शामिल मिसल

- नकल जमाबन्दी सवंत् 2072–2075 ग्राम नरपत खेडी
- नकल नक्शा ट्रेस ग्राम नरपत खेडी

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी विधिवत करवायी गई
र्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया।
कल प्रार्थी अधिवक्ता को दिलवायी गयी। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र
स्तुत कर प्रार्थना पत्र की समस्त चरणों को अस्वीकार किया जाकर विशेष आपत्तियां
कि:–

यह कि प्रार्थीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर सही तथ्यों को छिपाकर वाद व
र्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

यह कि प्रतिपक्षीगण, प्रार्थीगण के खाते की भूमि में कोई धोरा नहीं निकाल
रहे है ओर न प्रार्थीगण के कब्जे में मदाखलत पैदा कर रहे है। इस कारण दावा व प्रार्थना
पत्र प्रार्थीगण खारिज होने योग्य है।

यह कि वास्तमविकता यह है कि खसरा नम्बर 260 व खसरा नम्बर 256 का
गैरमुककिन धोरा बना रखा है जो प्रतिपक्षीगण के खेत खसरा नम्बर 261 के सहारे से
होकर सिंचाई विभाग द्वारा खसरा नम्बर 257 का गैरमुमकिन धोरा बना रखा है जो
प्रतिपक्षीगण के खेत खसरा नम्बर 261 के सहारे से होकर जाता है। उक्त धोरे को
प्रार्थीगण ने हांक कर अपने खेत में मिला लिया है व धोरे को अच द्व कर दिया है जिससे
धोरे से पानी आना बन्द हो गया है जिसके कारण प्रतिपक्षीगण की भूमि खसरा नम्बर 261
की सिंचाई नही हो पाती है जिससे प्रतिपक्षीगण की फसल को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं
मिलने के कारण प्रतिपक्षीगण को काफी क्षति हो रही है।

यह कि प्रार्थीगण की खसरा नम्बर 256 260 की भूमि के मध्य सिंचाई विभाग द्वारा
खसरा नम्बर 257 गैर मुमकिन धोरा बना हुआ है जिससे प्रतिपक्षीगण अपनी भूमि को
सिचिंत करते चले आ रहे थे किन्तु प्रार्थीगण ने उक्त धोरे की भूमि को हांक कर व खसरा

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

256 व 260 की भूमि में मिला कर धोरा नष्ट कर दिया है। जिसको खुलासा करने तिपक्षी नं0 1 ने सहायक अभियन्ता दायी नहर उपखण्ड सीएडी सुल्तानपुर को लिखा जिन्होने प्रतिपक्षी नं0 1 को अपने खर्चे पर धोरे को खुलासा करवाये जाने हेतु त किया गया है। जिसके आधार पर प्रतिपक्षीगण खसरा नम्बर 257 का गैरमुमकिन को जो प्रार्थीगण ने बन्द व अवरूद्व कर अपनी भूमि में मिला लिया है उसको खुलासा रहे है। प्रतिपक्षीगण , प्रार्थीगण की भूमि में कोई धोरा नहीं खोद रहे है।

यह कि उक्त धोरा प्रार्थीगण का निजी धोरा नहीं है बल्कि सरकारी सिंचाई विभाग बनाया हुआ धोरा है जिसको बन्द व अवरूद्व करने का व धोरे की भूमि पर काश्त का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है।

यह कि प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि के कब्जे काश्त में कोई व्यवधान पैदा कर रहे है। बल्कि सिंचाई विभाग द्वारा प्रतिपक्षी नं0 1 को दिये गये आदेश की ना में धोरा को खुलासा कर रहे है। प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षीगण को उक्त कार्य नहीं करने की बदनियती से यह वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

यह कि प्रार्थीगण का कोई केस प्राइमाफेसी केस नहीं है सुविधा का सन्तुलन भी गण के पक्ष में नहीं है। प्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति होने का प्रश्न ही पैदा होता है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र य खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में हायक अभियन्ता दांयी मुख्य नहर उपखण्ड सीएडी सुल्तानपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट में ट उल्लेख किया है कि नरपतखेडी माईनर के धोरा संख्या 4 खसरा नम्बर 257 गै0मु0 रामसिंह पुत्र श्री गोबरीलाल जाति गुर्जर निवासी नरपत खेडी द्वारा हांक कर नष्ट कर या गया है। पटवार हल्का टाकरवाडा की रिपोर्ट में मुताबिक खसरा नम्बर 257 गै0मु0 है, जिसे प्रतिपक्षीगण को आदेश दिये गये है कि आप स्वंय अपने खर्च से धोरा वाये एवं मौके पर रामसिंह पुत्र श्री गोबरीलाल या अन्य द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया ता है तो आप पुलिस थाना बूढादीत की सहायत से धोरा खुदाई कर अपने खते की चाई व्यवथा करें। सहायक अभियन्ता दांयी मुख्य नहर उखण्ड सीएडी सुल्तानपुर के ांक 78 दिनांक 25.06.2021 से पत्र प्रेषित कर मौका निरीक्षण किया जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत जिसमें शिकायत कर्ता द्वारा वर्णित खसरा नम्बर 257 पर धोरा नहीं पाया गया।

पत्रावली में बहस उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराया एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत ये गये जवाब के कथना को दोहराया गया है। राजस्व रिकॉर्ड एवं प्रार्थी की ओर से स्तुत दस्तावेज एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस का गहन अध्ययन व अवलोकन, नन किया गया। प्रस्तुत साक्ष्यों से एवं राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार विवादित आराजी के गवा खसरा नम्बर 257 गैर मुमकिन धोरा है जिसे प्रार्थीगण द्वारा हांक कर मिटाना प्रतीत होता है। खसरा उभय पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा दिये गये तर्कों व कथनों तथा पत्रावली में स्तुत राजस्व रिकॉर्ड से प्रार्थीगण अपना पक्ष रखने में असफल रहा है तथा सुविधा का न्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नजर नही आता है और अपरिमित क्षति भी प्रार्थी को होना रित नहीं होता है। परिणामस्वरूप उक्त धोरा निजी धोरा न होकर सरकारी धोरा है जिससे प्रतिपक्षीगण की आराजी को सिंचित किया जाना जाहिर होता है।

सहायक कलक्टर
नोद, जिला कोटा (राज.)

त्रावली के समस्त राजस्व रिकार्ड , प्रस्तुत दस्तावेजात एवं उभय पक्ष के की बहस से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी अपना पक्ष रखने व सिद्व करने में विफल दित आराजी में प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति होना भी प्रतीत नहीं प्रार्थी के पक्ष में पूर्व में दिनांक 21.01.2021 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा ाती है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।
आज दिनांक 19.9.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)